

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्थ) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

गजबंदी कासु बन्दि बनाम जिला न्यायाधीश

ख्या ५२ / २०१५ अन्तर्गत धारा ६२, १५५, १५६

आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	तख्त पत्र दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
-----------------------------------	---

अधिवक्तागण उपस्थित। साक्ष्य प्रतिवादी हेतु समय पाहा। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक ३०/१/२५ को पेश हो।

अधिवक्तागण उपस्थित। साक्ष्य प्रतिवादी हेतु समय पाहा। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक १२/८/२५ को पेश हो।

अधिवक्तागण उपस्थित। साक्ष्य प्रतिवादी हेतु समय पाहा। अन्तिम अवसर दिया जाता है अन्यथा साक्ष्य प्रतिवादी स्वतः बेद समझी जाएगी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक ५/७/२५ को पेश हो।

अधिवक्तागण उपस्थित। साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर बेद की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक २५/७/२५ को पेश हो।

दस्तावेज उपखण्ड अधिकारी के हस्तगत अवकाश पर दिनांक १५/१०/२५ को जज Kamal

अधिवक्तागण उपस्थित। बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी व प्रतिवादीगण ने प्रकरण में अपनी-अपनी तबदीली के सिद्ध करने के लिए साक्ष्य पेश नहीं की है। लिहाजा वादी का दूधपत्र व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम अदम्य साक्ष्य में स्थापित किया जाता है। पत्रावली विगीत होकर गम्बर से कम होकर पाठिल दफ्तर हो।